जैविक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम वर्ष 2016–17 अन्तर्गत अनुदान पर वर्मी कम्पोस्ट वितरण हेतु कार्यान्वयन अनुदेश

1. **कार्यक्रम का उद्देश्य :** जैविक/टिकाऊ खेती कृषि रोड मैप (2012–17) का एक अभिन्न अंग है। राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने, वर्मी कम्पोस्ट विनिर्माता प्रतिष्ठानों को प्रोत्साहित करने, किसानों को सस्ते दर पर वर्मी कम्पोस्ट उपलब्ध कराने तथा उत्पादन लागत मूल्य को कम करने के उद्देश्य से राज्य में अनुदानित दर पर वर्मी कम्पोस्ट वितरण का प्रावधान किया गया है।
2. **लक्ष्य का निर्धारण :** जिला कृषि पदाधिकारी अपने जिले में फसल क्षेत्र के रकबा के आधार पर जिले के लक्ष्य को विखंडित कर प्रखण्डवार एवं पंचायतवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य का निर्धारण करेगें तथा सभी संबंधितों को सूचित करेंगे।
3. **प्रतिष्ठान/बिक्रेता का चयन :**
   - 3.1 जिला कृषि पदाधिकारी अपने जिले में वर्मी कम्पोस्ट की बिक्री हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त खुदरा उर्वरक बिक्रेताओं को प्रखंडवार चिन्हित करेंगें।
   - 3.2 जिला कृषि पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिले में स्थापित व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट इकाई द्वारा उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट का वितरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाय।
   - 3.3 जिला कृषि पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि खुदरा उर्वरक बिक्रेता अपने जिला में स्थापित अनुज्ञप्ति प्राप्त व्यावसायिक वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन ईकाईयों से उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट क्रय करेंगे अथवा अनुज्ञप्ति प्राप्त थोक विक्रेता से क्रय कर अनुदानित दर पर बिक्री करेंगे।
   - 3.4 जिला में व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट उत्पादक नहीं होने अथवा उत्पादक प्रतिष्ठानों के पास आवश्यकता के अनुरूप वर्मी कम्पोस्ट उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में हीं राज्य के अन्यत्र जिलों में उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट की बिक्री अनुदान पर कर सकते हैं।
   - 3.5 प्रत्येक चिन्हित बिक्रेता को वर्मी कम्पोस्ट की उपलब्धता के आधार पर भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निर्धारित कर जिला कृषि पदाधिकारी सभी सम्बंधितों को सूचित करेंगें।
4. **अनुदान की राशि एवं शर्तें :**
   - 4.1 अनुदान राशि वर्मी कम्पोस्ट के मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 300 रू0 प्रति क्विंटल की दर से अनुमान्य होगा।
   - 4.2 एक किसान को 05 क्विं0/हे0 की दर से अधिकतम 02 हे0 के फसल क्षेत्र के लिए अनुदान पर वर्मी कम्पोस्ट दिया जाएगा।
   - 4.3 जिला कृषि पदाधिकारी जिला अन्तर्गत स्वीकृत लक्ष्य को सामान्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के सख्या के अनुसार लक्ष्य को कर्णांकित करेंगे।
5. **प्रचार प्रसार :**
   - 5.1 जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक/प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रचार प्रसार कराकर पंचायतों में आवेदन पत्र प्राप्त किये जाएगें।

5.2 प्रत्येक मौसम में अनुदान पर वर्मी कम्पोस्ट वितरण जिले में स्थापित व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट इकाई पर पाँच दिनों का शिविर लगाकर भी किया जाय। साथ ही खरीफ/रबी/गर्मा मौसम में कृषि/उद्यान के कार्यक्रमों के लिए विभाग द्वारा निर्धारित वितरण उपादान शिविर में भी इसकी बिक्री की जा सकती है। जिन जिलों में व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन इकाई नहीं है उन जिलों में जिला कृषि पदाधिकारी प्रखंडस्तरीय शिविर लगाकर वर्मी कम्पोस्ट का वितरण कराना सुनिश्चित करेंगे।

5.3 जिला कृषि पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वर्मी कम्पोस्ट वितरण के पूर्व वर्मी कम्पोस्ट का नमूना संग्रह कर गुणवत्ता जाँच हेतु प्रयोगशाला भेजा जाय तथा मानक प्रतिवेदन आने पर ही वर्मी कम्पोस्ट का वितरण किया जाय।

5.4 शिविर में प्रत्येक दिन आवश्यकतानुसार 3–5 पंचायतों को सम्बद्ध कर बिक्री कराया जाएगा।

5.5 किसी पंचायत के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार उपलब्धि प्राप्त नहीं होने पर 06 वें दिन शिविर आयोजित कर प्रखंड के लक्ष्य के अन्तर्गत एक पंचायत से दूसरे पंचायत में प्रखंड कृषि पदाधिकारी अन्तरपरिवर्तन कर सकते हैं।

5.6 इसके बाद भी किसी प्रखंड के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि प्राप्त नहीं होती है तो जिला कृषि पदाधिकारी अपने जिला के वित्तीय लक्ष्य के अन्तर्गत एक प्रखंड के लक्ष्य को दूसरे प्रखंड में अन्तरपरिवर्तन कर सकते हैं। परन्तु यह कार्य दिसम्बर माह के बाद ही किया जाएगा।

6. आवेदन देने की प्रक्रिया :

6.1 ईच्छुक किसान निर्धारित प्रपत्र अनुसूची–01 में अपना आवेदन पत्र त्रिस्तरीय पंचायत के किसी प्रतिनिधि की अनुशंसा प्राप्त कर अपने कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार को देगें।

6.2 कृषक अपने आवेदन पत्र के साथ पहचान पत्र (मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड/ किसान क्रेडिट कार्ड) की प्रति संलग्न करेंगें।

6.3 प्राप्त आवेदन पत्रों का भौतिक सत्यापन कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार द्वारा की जाएगी।

6.4 कृषि समन्वयक/ किसान सलाहकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र अनुसूची–02 में फसल क्षेत्र के रकबा के अनुसार वर्मी कम्पोस्ट देने की अनुशंसा की जाएगी तथा अनुशंसा पत्र एवं पहचान पत्र किसान को वापस कर दी जायेगी।

6.5 अपने पंयायत के लिए वर्मी कम्पोस्ट वितरण हेतु निर्धारित शिविर अवधि में भी किसान से आवेदन पत्र प्राप्त किया जा सकेगा।

6.6 प्राप्त आवेदन पत्रों को प्रखंड स्तर पर एक पंजी में संधारित किया जायेगा।

7. भंडार का सत्यापन एवं गुणवत्ता की जाँचः वितरण अवधि निर्धारित करने के पूर्व प्रतिष्ठानों के पास वर्मी कम्पोस्ट की उपलब्धता का सत्यापन, भंडार पंजी, बिक्री पंजी, बिक्री के कैशमेमो एवं गोदाम के आधार पर अनुमंडल/प्रखंड कृषि पदाधिकारी से करा लिया जाएगा। अनुमंडल/प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा लॉटवार नमूना लिया जाएगा तथा गुणवत्ता जाँच हेतु गुण नियंत्रण प्रयोगशाला मीठापुर, पटना भेजा जाएगा।

8. अनुदान पर वर्मी कंम्पोस्ट का वितरण :

8.1 वर्मी कम्पोस्ट का वितरण "पहले आओ पहले पाओ" के सिद्धांत पर किया जाएगा।

8.2 किसान कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार से प्राप्त अनुशंसा पत्र एवं पहचान पत्र लेकर चिन्हित विक्रेता के पास जायेंगे।

8.3 विक्रेता द्वारा अनुशंसा पत्र एवं पहचान पत्र के आलोक में किसान को कुल मूल्य पर वर्मी कम्पोस्ट उपलब्ध कराया जायेगा तथा अनुशंसा पत्र पर विक्रेता द्वारा दिये गये कुल वर्मी कम्पोस्ट की मात्रा अंकित कर हस्ताक्षर किया जायेगा।

8.4 विक्रेता प्रतिष्ठान के स्तर पर पंचायतवार वितरण पंजी संधारित की जाएगी जिसमें लाभार्थी किसान का नाम, पिता/पति का नाम, पूरा पता, वितरित वर्मी कम्पोस्ट की मात्रा, बिक्री का कैशमेमो संख्या एवं तिथि, कुल राशि तथा लाभार्थी किसान का हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान लिया जाना अनिवार्य होगा।

8.5 विक्रेता द्वारा वर्मी कम्पोस्ट की बिक्री पंजी, वर्मी कम्पोस्ट की बिक्री का कैशमेमो का संधारण किया जायेगा।

8.6 विक्रेता द्वारा कैशमेमो पर किसान का हस्ताक्षर प्राप्त कर एक प्रति किसान को उपलब्ध करायी जायेगी।

8.7 वितरण अवधि में प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी इसका सतत पर्यवेक्षण करेंगें तथा जिला/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी औचक रूप से निरीक्षण करेंगें।

8.8 प्रत्येक अधिकृत एवं चिन्हित प्रतिष्ठान द्वारा बिक्री स्थल पर वितरण सम्बंधी जानकारी के साथ फ्लैक्सी बोर्ड लगाना होगा।

8.9 कोई भी जिला कृषि पदाधिकारी/चिन्हित बिक्रेता प्रतिष्ठान अपने निर्धारित वित्तीय लक्ष्य के अंतर्गत ही अनुदान पर वर्मी कम्पोस्ट का वितरण करेंगें।

8.10 दूसरे जिले से प्राप्त होनेवाले वर्मी कम्पोस्ट के भंडार का सत्यापन सम्बंधित अनुमंडल/प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा तथा वितरण अवधि के पूर्व गुणवत्ता जाँच हेतु नमूना भी इनके द्वारा लिया जाएगा तथा गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, मीठापुर, पटना को भेजा जाएगा। वर्मी कम्पोस्ट का नमूना मानक होने पर ही इसका वितरण कराना सुनिश्चित करेंगे।

9. अनुदान दावे का भुगतान की प्रक्रिया :

9.1 वर्मी कम्पोस्ट वितरण की समाप्ति के पश्चात् 10 दिनों के अंदर किसान द्वारा निर्धारित प्रपत्र अनुसूची–03 में अनुदान दावा विपत्र एवं वर्मी कम्पोस्ट प्राप्त करने हेतु अनुशंसा पत्र, कैशमेमो की प्रति, पहचान पत्र यथा मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड/किसान क्रेडिट कार्ड/संबंधित प्रखंड कृषि पदाधिकारी को समर्पित किया जायेगा। प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा नीचे अंकित प्रपत्र में एक समेकित दावा विपत्र जिला कृषि पदाधिकारी को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

अनुदान दावा का समेकित विपत्र

क्र0 सं0	लाभार्थी किसान का नाम	पिता/पति का नाम	ग्राम/ग्राम पंचायत	बैंक का नाम एवं शाखा का नाम	IFSC कोड संख्या	खाता संख्या	प्रतिष्ठान का नाम एवं पता जहाँ से कृषक द्वारा उपादान क्रय किया गया हो	वर्मी कम्पोस्ट बिक्री की मात्रा (कि0ग्रा0 में)	बिक्री का नगद विपत्र संख्या एवं तिथि	कुल मूल्य (रू0 में)	अनुदान की राशि (रू0 में)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13

9.2 प्राप्त अभिश्रव का शत–प्रतिशत भौतिक सत्यापन संबंधित प्रखंड कृषि पदाधिकारी/कृषि समन्वयक द्वारा विपत्र समर्पित करने के एक सप्ताह के अंदर किया जायेगा।

9.3 विपत्र एवं अन्य कागजात सत्यापन के बाद एक सप्ताह के अंदर समेकित कर जिला कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।

9.4 अभिलेख एवं विपत्र सत्यापन प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा किसान को अनुदान राशि का भुगतान आर0टी0जी0एस0/डी0बी0टी0 के माध्यम से किया जाएगा।

10. अभिलेख का संधारण : इस कार्यक्रम अंतर्गत लाभान्वित कृषकों की सूची संलग्न अनुसूची–04 में प्रखण्डवार/पंचायतवार हार्ड कॉपी/सॉफ्ट कॉपी में जिला स्तर पर संधारित की जाएगी तथा सॉफ्ट कॉपी की एक प्रति कृषि निदेशालय को उपलब्ध कराई जाएगी ताकि इसे कृषि विभाग के वेबसाईट पर अपलोड किया जा सके।

11. किसान सलाहकार का दायित्व :

11.1 इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करना।

11.2 लाभार्थी कृषकों से आवेदन पत्र प्राप्त करना।

11.3 अपनी देख–रेख में वर्मी कम्पोस्ट का वितरण कराना।

11.4 किसानों के आवेदन पत्र एवं पहचान पत्र का सत्यापन कर अनुदान पर वर्मी कम्पोस्ट देने की अनुशंसा करना।

12. कृषि समन्वयक का दायित्व :

12.1 इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करना।

12.2 प्राप्त आवेदन पत्र एव पहचान पत्र का सत्यापन कर वर्मी कम्पोस्ट देने की अनुशंसा करना।

12.3 वर्मी कम्पोस्ट वितरण अवधि में इसका सतत पर्यवेक्षण करना।

12.4 वितरण अवधि में सभी कागजातों की जाँच करना/संधारित कराना।

12.5 विपत्र समर्पित करने के एक सप्ताह के अंदर प्राप्त अभिश्रव का शत–प्रतिशत जॉच करना।

13. प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी का दायित्व :

13.1 प्रखण्ड स्तर पर इस कार्यक्रम को प्रचारित कराना।

13.2 प्राप्त आवेदन पत्र एवं पहचान पत्र का सत्यापन कर/कराकर वर्मी कम्पोस्ट वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करना।

13.3 प्रखण्ड स्तर पर वितरण का सतत पर्यवेक्षण करना।

13.4 बिक्रेता प्रतिष्ठान के भंडार पंजी, बिक्री पंजी एवं बिक्री के कैशमेमो तथा गोदाम में उपलब्ध भंडार की जाँच करना।

13.5 पंचायतवार वितरण तिथि का निर्धारण करना।

13.6 वितरण के पूर्व/वितरण अवधि में गुणवत्ता जाँच हेतु नमूना संग्रह करना तथा इसे गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, मीठापुर, पटना को भेजना तथा विश्लेषण प्रतिवेदन से जिला कृषि पदाधिकारी को अवगत कराना।

13.7 अनुदान भुगतान हेतु किसान द्वारा समर्पित अनुदान दावा विपत्र को समेकित कर एक सप्ताह के अंदर लाभार्थी किसानों का कृषि समन्वयक/स्वयं के द्वारा शत–प्रतिशत भौतिक सत्यापन कराना/करना तथा विपत्र पर प्रमाण पत्र देकर अनुशंसा के साथ जिला कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध कराना।

14. अनुमंडल कृषि पदाधिकारी का दायित्व :

14.1 वितरण अवधि के पूर्व प्रतिष्ठानों के पास उपलबध वर्मी कम्पोस्ट की मात्रा का सत्यापन भंडार पंजी, बिक्री पंजी, बिक्री के कैशमेमो तथा गोदाम में उपलब्धता के आधार पर करना तथा इससे सम्बंधित प्रतिवेदन जिला कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध कराना।

14.2 अपने अनुमंडल अंतर्गत आयोजित वितरण कार्यक्रम का पर्यवेक्षण करना।

14.3 वितरण के पूर्व भंडार सत्यापन के समय, गुणवत्ता जाँच हेतु नमूना लेना तथा इसे गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, मीठापुर, पटना को भेजना तथा विश्लेषण प्रतिवेदन से जिला कृषि पदाधिकारी को अवगत कराना।

14.4 वितरण अवधि में जिला के बाहर से आने वाले वर्मी कम्पोस्ट का भी नमूना लेना तथा गुण नियंत्रण प्रयोगशाला को भेजना तथा विश्लेषण प्रतिवेदन से जिला कृषि पदाधिकारी को अवगत कराना।

15. जिला कृषि पदाधिकारी का दायित्वः

15.1 इस कार्यक्रम के प्रचार प्रसार की व्यवस्था करना।

15.2 वितरण का लक्ष्य निर्धारित कर सभी सम्बंधित को सूचित करना।

15.3 खुदरा उर्वरक विक्रेताओं को प्रखण्डवार चिन्हित करना एवं उन्हें वितरण का लक्ष्य का निर्धारण करना तथा सभी सम्बंधितों को सूचित करना।

15.4 वितरण के पूर्व वर्मी कम्पोस्ट की उपलब्धता का सत्यापन तथा गुणवत्ता की जाँच कराने हेतु नमूना एकत्र कर प्रयोगशाला भेजना।

15.5 वितरण शिविर अवधि का निर्धारण कर सभी सम्बंधित को सूचित करना।

15.6 वितरण अवधि में इसका पर्यवेक्षण करना।

15.7 वितरण अवधि में जिला के बाहर से आने वाले वर्मी कम्पोस्ट की गुणवत्ता की जाँच कराने हेतु नमूना एकत्र कर प्रयोगशाला भेजना।

15.8 जिलान्तर्गत मानक वर्मी कम्पोस्ट का वितरण सुनिश्चित करना।

15.9 अपने जिला में उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट को सर्व प्रथम वितरण कराना। जिला में लक्ष्य से कम मात्रा में वर्मी कम्पोस्ट उपलब्ध होने पर ही राज्य के अन्य वर्मी कम्पोस्ट उत्पादकों के थोक उर्वरक बिक्रेताओं के माध्यम से वर्मी कम्पोस्ट की व्यवस्था करना।

15.10 प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी से किसानों के अनुदान दावे विपत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर भुगतान सुनिश्चित करना।

16. **जिला नोडल पदाधिकारी का दायित्वः**

जिला नोडल पदाधिकारी अपने जिला में वर्मी कम्पोस्ट वितरण की समीक्षा एवं औचक निरीक्षण करेंगे तथा निरीक्षण प्रतिवेदन कृषि निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे।

17. **प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) का दायित्वः**

अपने प्रमंडल अन्तर्गत अनुदान पर वर्मी कम्पोस्ट वितरण का निरीक्षण करना तथा उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराना।

18. **जैविक प्रोत्साहन कोषांग का दायित्वः**

इस योजना के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करना तथा प्रगति से विभाग को अवगत कराना।

18.8.16

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

अनुसूची–01

जैविक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्तर्गत अनुदान पर वर्मी कम्पोस्ट वितरण का आवेदन–पत्र

1. आवेदक का क्रमांक– तिथि– वित्तीय वर्ष–
2. आवेदक / आवेदिका का नाम– श्री / श्रीमती / सुश्री.....
3. पिता / पति का नाम– श्री / श्रीमती / सुश्री.....
4. आवेदक / आवेदिका का पता–
   ग्राम..... पंचायत / वार्ड .....
   पो0..... थाना..... प्रखण्ड.....
   जिला.....
5. आवेदक / आवेदिका की श्रेणी–
   (अनु0जाति / अनु0जनजाति / पिछड़ी / अत्यन्त पिछड़ी जाति / अल्पसंख्यक / सामान्य)
6. आवेदक का दूरभाष / गो0 संख्या.....
7. लगाए जाने वाले फसल का नाम.....
8. फसल क्षेत्र के भूमि का विवरण.....
   प्रखंड..... मौजा..... थाना सं0.....
   खाता सं0..... प्लौट सं0..... रकबा (एकड़ में).....
   फसल क्षेत्र की चौहदी
   उत्तर..... दक्षिण.....
   पूर्व..... पश्चिम.....
9. बैंक खाता सं॰.....बैंक का नाम एवं शाखा.....
   IFSC कोड सं॰ .....
10. किसान की भूमि का प्रकार– (स्वयं का / लीज / पट्टा / बटाई):–
11. आवेदक के पास उपलब्ध सिंचाई के संसाधन.....
12. अनुदान पर वर्मी कम्पोस्ट की मात्रा (क्वीं0 में).....

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी में सही है। कोई भी सूचना गलत पाये जाने पर ली गई अनुदान की राशि एकमुश्त वापस कर दूँगा / दूँगी तथा सरकार मेरे विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई कर सकती है।

त्रिस्तरीय पंचायत के किसी प्रतिनिधि की अनुशंसा

आवेदक / आवेदिका का हस्ताक्षर

आवेदन प्राप्ति का क्रमांक:..... दिनांक:.....

प्राप्त करने वाले कर्मी का नाम / पदनाम एवं हस्ताक्षर

प्राप्ति रसीद

श्री / श्रीमती.....पिता / पति का नाम.....
...ग्राम.....प्रखंड.....जिला..... से अनुदानित दर पर वर्मी कम्पोस्ट वितरण हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किया। आवेदन प्राप्ति का पंजी क्रमांक.....दिनांक.....है।

प्राप्त करने वाले कर्मी का नाम / पदनाम एवं हस्ताक्षर

अनुसूची–02

अनुदानित दर पर वर्मी कम्पोस्ट प्राप्त करने हेतु अनुशंसा पत्र

1. आवेदक का क्रमांक– तिथि– वित्तीय वर्ष–
2. आवेदक/आवेदिका का नाम– श्री/श्रीमती/सुश्री.....
3. पिता/पति का नाम– श्री .....
4. आवेदक/आवेदिका का पता–
   ग्राम..... पंचायत/वार्ड .....
   पो0..... थाना..... प्रखण्ड.....
   जिला.....
5. आवेदक/आवेदिका की श्रेणी–
   (अनु0जाति/अनु0जनजाति/पिछड़ी/अत्यन्त पिछड़ी जाति/अल्पसंख्यक/सामान्य)
6. फसल क्षेत्र के भूमि का विवरण.....
   प्रखंड..... मौजा..... थाना सं0.....
   खाता सं0..... प्लौट सं0..... रकबा (एकड़ में).....
7. किसान की भूमि का प्रकार– (स्वयं का/लीज/पट्टा/बटाई):–
8. अनुदान पर वर्मी कम्पोस्ट की मात्रा (क्वीं0 में).....
9. स्पष्ट मंतव्य–

.....

कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार का हस्ताक्षर

तिथि:–.....

बिक्रेता हेतु प्रपत्र

1. बिक्रेता का अनुज्ञप्ति सं0–
2. बिक्रेता का नाम एवं पता–
3. उपर्युक्त अनुशंसित कृषक को
   बिक्री की गई वर्मी कम्पोस्ट की मात्रा (क्वीं0 में)–

.....

बिक्रेता का हस्ताक्षर एवं मुहर

तिथि:–.....

अनुसूची–03

अनुदानित दर पर वर्मी कम्पोस्ट के अनुदान दावा हेतु किसान द्वारा समर्पित किया जाने वाला आवेदन पत्र का प्रपत्र

1. किसान का नामः–
2. पिता/पति का नाम–
3. ग्राम.....प्रखंड.....जिला.....
4. बैंक खाता संख्या.....बैंक का नाम.....
   IFSC कोड सं0.....(पासबुक की छायाप्रति संलग्न)
5. आवेदन का क्रमांक सं0.....दिनांक.....
6. अनुदान पर कुल प्राप्त वर्मी कम्पोस्ट की मात्रा.....
7. मेरे द्वारा अनुदान दावे के प्रमाण स्वरूप निम्नलिखित कागजात समर्पित किया जा रहा है–
   A) वर्मी कम्पोस्ट प्राप्त करने हेतु अनुशंसा पत्र
   B) कैशमेमो की प्रति
   C) मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड/किसान क्रेडिट कार्ड आदि।
8. मुझे .....बैंक.....शाखा के मेरे खाता संख्या..... IFSC कोड सं0.....में अनुदान राशि का भुगतान किया जाय।

घोषणा

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे आवेदन में उपरोक्त वर्णित सारी सूचनाएँ सही है। मेरे द्वारा प्राप्त किये गये वर्मी कम्पोस्ट का उपयोग मेरे फसल में किया गया है। कोई भी सूचना गलत पाये जाने पर ली गई अनुदान की राशि एकमुश्त वापस कर दूँगा/दूँगी तथा मेरे विरूद्ध संवैद्यानिक कार्रवाई की जा सकती है।

किसान का नाम/हस्ताक्षर/तिथि

(अनुदान दावे में किसान अपना नाम एवं हस्ताक्षर तथा तिथि स्पष्ट रूप से अंकित करेंगे)

अनुसूची–04

लाभान्वित कृषकों (वर्मी कम्पोस्ट वितरण संबंधित) की सूची संधारित करने हेतु विहित प्रपत्र

जिला का नामः–

वित्तीय वर्ष :–

प्रखंड का नामः–

क्रं0 सं0	लाभान्वित कृषक का नाम	कृषक के पिता / पति का नाम	ग्राम	पंचायत	कृषक का वर्गीकरण (अनु0जा0 / अनु0ज0 जाति / सामान्य)	कृषक का प्रकार (लघु / सीमान्त / महिला / अन्य)	वितरित किये गये वर्मी कम्पोस्ट की मात्रा (क्वीं0 में)	कुल मूल्य (रू0 में)	अनुदान की राशि (रू0 में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

जिला कृषि पदाधिकारी का हस्ताक्षर